सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **329/2017** दायर दिनाँक **04.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद उस्मान पुत्र शकरू खाँ, उम्र—60साल, जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—शेरानी आबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. अहसान पुत्र शकरू खाँ, उम्र—45साल, 2. हारून पुत्र शकरू खाँ, उम्र—35साल, 3. जुमली पुत्री शकरू खाँ, उम्र—50साल, 4. ऐमना पुत्री शकरू खाँ, उम्र—37साल, 5. समसुदीन पुत्र उमरखाँ, उम्र—47साल, 6. बदरूदीन पुत्र उमरखाँ, उम्र—44साल, 7. हाजरा पुत्री उमरखाँ, उम्र—65साल, 8. सुफिया पुत्री उमरखाँ, उम्र—60साल, 9. सलमा पुत्री उमरखाँ, उम्र—57साल, 10. मुन्नी पुत्री उमरखाँ, उम्र—54साल, 11. आसिया पुत्री उमरखाँ, उम्र—51साल, 12. हलिमा पत्नी उमरखाँ, उम्र—86साल, समस्त,जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—शेरानी आबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मो0 रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–329 / 2017
दायर दिनाँक 04.12.2017, निर्णय दिनाँक 14.12.2017
मोहम्मद उस्मान बनाम् अहसान, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 14.12.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 एक ही परिवार से हैं। खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 06.11 बीघा, खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 12.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 04.16 बीघा, वाकै शरहद डाबगाँव हल्का पटवारी लौरोली कलाँ तथा खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा वाकै शरहद शेरानी आबाद में स्थित है।

वादग्रस्त उपर्युक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी पेश है। वादग्रस्त उपर्युक्त में खातेदार उमरखाँ व शकरूखाँ फौत हो चुके हैं, जिनके वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 हैं।

खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा वाकै शरहद शेरानी आबाद में प्रतिवादीगण संख्या 05, 06 व 12 का ही नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि पैतृक है। इस भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा पर व प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का 1/2 हिस्सा पर काबिज हैं।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्य दर्ज है मगर इसका बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच हो चुका है व इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज हैं।

मौखिक बन्टवारा निम्नानुसार है:–

(क) खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 06.11 बीघा, खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 04.16 बीघा सम्पूर्ण वाकै शरहद डाबगाँव व खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा में पूर्वी तरफ का रकबा 05.14 बीघा वाकै शरहद शेरानी आबाद का कब्जाकाश्त व बन्ट वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के हिस्से में है।

(ख) खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 12.05 बीघा सम्पूर्ण वाकै शरहद डाबगाँव व खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा वाकै शरहद आबाद में से पश्चिमी तरफ का रकबा 05.14 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 के कब्जाकाश्त व बन्ट में आई हुई है।

उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 07 ता 12 को सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार हक अदा कर दिया है। इसलिए इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

वादी अपने बन्ट की उपयुक्त भूमि में कदीम से काश्त करते आये है। दिनाँक 27.11.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी है कि वादग्रस्त भूमि को बैचाण कर देंगे अगर उक्त भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा बैचाण कर दी गयी तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी।

वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं है इसलिए तहसीलदार डीडवाना को वाद से करने से पूर्व दो माह की अवधि का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कनूनी नोटिस नहीं दिया गया है, मगर तहसीलदार डीडवाना के लैण्ड होल्डर होने से वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा दिनाँक 27.11.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा बैचाण कर देने की धमकी देने एव नकल खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर से पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि–

(क) खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 06.11 बीघा, खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 04.16 बीघा सम्पूर्ण वाकै शरहद डाबगाँव व खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा में पूर्वी तरफ का रकबा 05.14 बीघा वाकै शरहद शेरानी आबाद का कब्जाकाश्त व बन्ट वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को खातेदार घोषित किया जावे।

(ख) खेत खसरा नम्बर 112 रकबा 12.05 बीघा सम्पूर्ण वाकै शरहद डाबगाँव व खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा वाकै शरहद आबाद में से पश्चिमी तरफ का रकबा 05.14 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 07 ता 12 को सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार हक अदा कर दिया है। इसलिए इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम शेरानी आबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 416 / 364 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 51 / 46 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फार्म नम्बर 19 जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2010–2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फार्म नम्बर 19 जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2022–2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फार्म नम्बर 19 जमाबन्दी ग्राम छोटी खाटू सम्वत् 2010–2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फार्म नम्बर 19 जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2018–2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है। राजीनामा के साथ पहचान–पत्र के रूप में, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 888827922306 नाम आमना बानो की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 628776603209 नाम हारून रसीद, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 621091814724 नाम समसुदीन की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 742301777632 नाम अहसान अली की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 267144559041 नाम उस्मान की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 496790796035 नाम आसिया की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 554757183385 नाम सलमा की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 746487713638 नाम सुफिया की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 291538074355 नाम हाजरा की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 337639455954 नाम आमना की छायाप्रति, भारत

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–329 / 2017
दायर दिनाँक 04.12.2017, निर्णय दिनाँक 14.12.2017
मोहम्मद उस्मान बनाम् अहसान, वगैरा।

सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 553039276887 नाम जुमली की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 943720576891 नाम बदरूदीन की छायाप्रति, पेश है

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मो0 शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मो0 रफीक ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक, वाद वर्णित मौखिक बन्ट अनुसार पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते हैं। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 06.11 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 04.16 बीघा सम्पूर्ण भूमि, का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा भूमि में से पूर्वी तरफ का हिस्सा रकबा 05.14 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–329/2017
दायर दिनाँक 04.12.2017, निणर्य दिनाँक 14.12.2017
मोहम्मद उस्मान बनाम् अहसान, वगैरा।

3. शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 112 रकबा 12.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा भूमि में से पश्चिमी तरफ का हिस्सा रकबा 05.14 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 07 ता 12 का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **14.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 329/2017 दायर दिनाँक 04.12.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद उस्मान पुत्र शकरू खाँ, उम्र—60साल, जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—शेरानी आबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अहसान पुत्र शकरू खाँ, उम्र—45साल, 2. हारून पुत्र शकरू खाँ, उम्र—35साल, 3. जुमली पुत्री शकरू खाँ, उम्र—50साल, 4. ऐमना पुत्री शकरू खाँ, उम्र—37साल, 5. समसुदीन पुत्र उमरखाँ, उम्र—47साल, 6. बदरूदीन पुत्र उमरखाँ, उम्र—44साल, 7. हाजरा पुत्री उमरखाँ, उम्र—65साल, 8. सुफिया पुत्री उमरखाँ, उम्र—60साल, 9. सलमा पुत्री उमरखाँ, उम्र—57साल, 10. मुन्नी पुत्री उमरखाँ, उम्र—54साल, 11. आसिया पुत्री उमरखाँ, उम्र—51साल, 12. हलिमा पत्नी उमरखाँ, उम्र—86साल, समस्त,जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—शेरानी आबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 14.12.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मो0 रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 06.11 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 04.16 बीघा सम्पूर्ण भूमि, का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा भूमि में से पूर्वी तरफ का हिस्सा रकबा 05.14 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 112 रकबा 12.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 278 रकबा 11.08 बीघा भूमि में से पश्चिमी तरफ का हिस्सा रकबा 05.14 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 03, 04 व 07 ता 12 का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत् के आज की तारीख **14.12.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—329—2017 / रीडर / 2017 / 1183 दिनाँक 28/12/17

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद उस्मान पुत्र शकरू खाँ, उम्र—60साल, जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—शेरानी आबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. अहसान पुत्र शकरू खाँ, उम्र—45साल, जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—शेरानी आबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर,
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner